डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

कृष्णा बनाम प्रेमसिंह बगै0

दावा बाबत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 78/2019

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी का वादपत्र आराजी खसरा न. हाल बन्दोवस्ती खसरा नम्बरान 1471/0.16, 1814/0.12 किता 2 रकवा 0.28 है. वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई पर वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर मुताबिक वयनामा दिनांक 30.05.2007 के हिस्सा 4/7 पर वादिनी को एवं शेष हिस्सा 2/21 पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1/3 हिस्से के इन्द्राजात बदस्तूर रहेंगें।

बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ————————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख **30.09.2024** को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— 30/9/24

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:00:21 IST
Reason: SelfAttested

1. कृष्णा पत्नि प्रदीप कुमार जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई (भरतपुर)

वादी

बनाम

1. प्रेम पुत्र नत्थी जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई (भरतपुर)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
3. प्रभु पुत्र नत्थी जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई

प्रतिवादीगण

30/9/24

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:00:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)
(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 78/2019
जीसीएमएस न. 2019/00156
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 30.09.24

1. कृष्णा पत्नि प्रदीप कुमार जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई (भरतपुर)
वादी

बनाम

1. प्रेम पुत्र नत्थी जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई (भरतपुर)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
3. प्रभु पुत्र नत्थी जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री फूलसिंह एड0(वादीगण)
श्री राजेन्द्र सिंह एड0 प्रतिवादीगण

:: **निर्णय** :: दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि विवादित आराजी खसरा न. हाल बन्दोवस्ती खसरा नम्बरान 1471/0.16, 1814/0.12, किता 2 रकवा 0.28 है. वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई जिसके हिस्सा 2/2 के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 व शेष 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार तरतीवी प्रतिवादी सं. 3 दर्ज रेवेन्यू रिकॉर्ड थे। जिसमें वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से उसके 2/3 हिस्से में से 16/28 हिस्सा दिनांक 30.05.2007 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद कर लिया लेकिन उपरोक्त वयनामा का इंतकाल नं. 518 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:00:21 IST
Reason: SelfAttested

30/9/24

2065 से 2068 वाके ग्राम भदीरा प्रदर्श 1, नकल नामान्तरण रजिस्टर नामान्तरण संख्या 518 प्रदर्श 2, नकल वयनामा दिनांक 30.05.2007 प्रदर्श 3 एवं साक्ष्यवादी शपथ पत्र पीडब्लू 1 एवं पीडब्लू 2 के मौखिक बयान पेश किए गए।

प्रतिवादी गण की ओर से साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किए गए।

बहस अंतिम वादी वकील की ओर से एकतरफा में सुनी गयी। वादीगण के वकील द्वारा बहस दौरान अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया ।

हमने वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना गया, तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है। आराजी खसरा न. हाल बन्दोवस्ती खसरा नम्बरान 1471/0.16, 1814/0.12, किता 2 रकवा 0.28 है. वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई जिसके हिस्सा 2/3 के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 व शेष 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार तरतीवी प्रतिवादी सं. 3 दर्ज रेवेन्यू रिकॉर्ड थे। जिसमें वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से उसके 2/3 हिस्से में से 16/28 हिस्सा दिनांक 30.05.2007 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद कर लिया, लेकिन उपरोक्त वयनामा का इंतकाल नं. 518 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 07.08.2007 को गलत रूप से दाखिला दर्ज कर वादी का हिस्सा मात्र 6/28 तथा शेष हिस्सा 22/28 प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज कर दिया। इसके अलावा वर्तमान जमाबंदी में भी वादी का हिस्सा 1/7 तथा शेष प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 11/21 भी बिल्कुल गलत रूप से दर्ज कर रखा है। (प्रदर्श–4) । प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत इकबाल दावा अनुसार मुताबिक वयनामा दिनांक 30.05.2007 के हिस्सा 4/7 पर वादिनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं शेष हिस्सा 2/21 पर प्रतिवादी संख्या के नाम खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना स्वीकार किया गया है। एवं शेष 1/3 हिस्से के इन्द्राजात बदस्तूर रखा जाना उचित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से वादीगण के दावा को मुताबिक प्रार्थना अनुसार स्वीकार किया जाने हेतु अपना इकबाल दावा वादपत्र में पेश किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:00:21 IST
Reason: Self Attested

30/9/24

तथा किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं की गई प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाल दावा वादपत्र का समर्थन करता है । जिसके अनुसार आराजी खसरा न. हाल बन्दोवस्ती खसरा नम्बरान 1471/0.16, 1814/0.12 किता 2 रकवा 0.28 है. वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई पर वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर मुताबिक वयनामा दिनांक 30.05.2007 के हिस्सा 4/7 पर वादिनी को एवं शेष हिस्सा 2/21 पर प्रतिवादी संख्या के नाम खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं शेष 1/3 हिस्से के इन्द्राजात बदस्तूर रखा जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा वादी का वादपत्र काबिल डिक्री के हैं अतः दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा न. हाल बन्दोवस्ती खसरा नम्बरान 1471/0.16, 1814/0.12 किता 2 रकवा 0.28 है. वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई पर वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर मुताबिक वयनामा दिनांक 30.05.2007 के हिस्सा 4/7 पर वादिनी को एवं शेष हिस्सा 2/21 पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1/3 हिस्से के इन्द्राजात बदस्तूर रहेंगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.9.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

30/9/24

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:00:21 IST
Reason: SelfAttested